राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1938/2003
बिहारी सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट आयुक्त (प्रशासन), ट्रांसपोर्ट विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.12.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा निम्न प्रकार से प्रार्थना की गई हैः–

" (i). That the Hon'ble Tribunal may be please to call the entire record and after examine the same, may be please to declared that appellant is senior to his junior persons namely Shri Ram Singh, Shri Shiv Ram Meena, Shri Hanuman sahay Sharma and Shri Shyam Lal in the cadre of Class-IV Servant and it be also declared that the appellant has rightly been assigned at S.No. 157 in the Provisional Seniority List dated 1.5.2003 and the same may be restored in the Final Seniority List Dt. 20.6.2003 with all consequential benefits.

(ii). By an appropriate order or direction, the respondent be directed to consider the case of appellant for promotion on the post of LDC by DPC and allotted the quota of the year 2001-2002 with all consequenti al benefits with effect from the date his junior persons have been promoted on the post of LDC.

(iii). Any other appropriate order or direction which may be considered just and proper in the facts and circumstances of the case may also be pass in favour of the appellant.

(iv). Cost of this Appeal as well as Legal Expenses may also be awarded in favour of the appellant."

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी अन्य कार्मिक राम सिंह, शिवराम मीणा, हनुमान सहाय शर्मा एवं श्याम लाल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से वरिष्ठ था एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी की गई अस्थायी वरिष्ठता सूची दिनांक 01.05.2003 में भी अपीलार्थी उनसे वरिष्ठ रखा गया था। परंतु बाद में अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 20.06.2003 में अपीलार्थी को नीचे कर दिया

गया, जो गलत रूप से किया गया। अपीलार्थी ने उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए एलडीसी पद के लिए पुनः डीपीसी आयोजित किये जाने और अपीलार्थी को वरिष्ठता का लाभ प्रदान किये जाने के लिए प्रार्थना की है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत कार्मिकों को च०श्रे० कर्मचारी के रिक्त पदों पर वेतनमान 750–12–798–15–940 (1) में नियमित रूप से नियुक्त किया जाकर उक्त आदेश में स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि आदेश में वर्णित कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देने की तिथि से मान्य होगी। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश की पालना में जिला परिवहन कार्यालय, जालौर में दिनांक 18.02.1995 को अपनी उपस्थिति दी गई तथा अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित कार्मिकों यथा श्री राम सिंह, श्री हनुमान द्वारा दिनांक 13.02.1995 एवं श्री श्यामलाल व श्री राम मीणा द्वारा दिनांक 15.02.1995 को अपनी उपस्थिति दी गई थी। विभाग में स्थायी पद उपलब्ध होने पर कार्यरत कार्मिकों को नियमित चयन पर उपस्थिति की वरिष्ठता अनुसार विभागीय आदेश क्रमांक 16902 दिनांक 30.12.2000 एवं अपीलार्थी को आदेश 4201–03 दिनांक 13.02.1995 द्वारा स्थायी किया गया तथा दिनांक 15.07.2003 के अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गयी। वरिष्ठता अनुसार पात्र कार्मिकों को कनिष्ठ लिपिक के पद पदोन्नति प्रदान की गयी थी। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के संबंध में अंतिम वरिष्ठता सूची में स्थान परिवर्तित करने का कारण यह बताया है कि कर्मचारी की नियमित नियुक्ति उस स्थान पर नियुक्ति देने की दिनांक से मानी गई है। अपीलार्थी ने बाद में उपस्थिति दर्ज कराई थी। ऐसे में अपीलार्थी को बाद में उसी के अनुसार वरिष्ठता दी गई है। अपीलार्थी को स्थायी भी बाद में किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के जवाब से हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी की वरिष्ठता परिवर्तित किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। हम प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाना नहीं पाते हैं।

5. अतः यह अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)